न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्याजय धमूकड)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
130 / 16	24.8.16	2.12.21

उनवान

1. रहमत
2. आमीन
3. इलियास पुत्रान अमरसिंह जाति मेव निवासी ग्राम चाचाका तह0 किशनगढबास।

:–वादीगण :–

बनाम

1. शंकरलाल
2. मूलचन्द
3. मदनलाल
4. खेमचन्द पुत्रान श्री उदयराम जातियान राजपूत निवासी ग्राम चाचाका तह0 किशनगढबास जिला अलवर।
5. प्रेमचन्द पुत्र रामदेवा पौत्र सावलराम
6. भगनाराम पुत्र रामदेवा पौत्र सांवलराम जाति राजपूत निवासी चाचाका हाल आबाद पडावदा तह0 रामगढ
7. ज्ञानचन्द पुत्र रामदेवा पौत्र सावलराम जाति राजपूत निवासी चाचाका हाल आबाद पडावदा तह0 रामगढ

8 / 1.महेन्द्र सिंह पुत्र गंगाराम

8 / 2. श्यामलाल पुत्र गंगाराम

8 / 3.रखबीर पुत्र गंगाराम कौम राजपूत निवासी हाल नीकच तह0 रामगढ जिला अलवर।

9 दीवानचन्द पुत्र मेलुराम पौत्र सांवलराम राजपूत नि0 हाल आबाद नीकच तह0 रामगढ

10.राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास पैरोकार सरकार तह0 किशनगढबास

:– प्रतिवादीगण :–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट. 1955

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

निर्णय

आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान में ग्रम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई । दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार हैः– राजस्व ग्राम चाचाका तहसील किशनगढबास में स्थित हाल आराजी ख0न0 325 रकबा 1–08 बीघा सालिम, 326 रकबा 1–12 बीघा मिन वादीगण के पिता की खरीद शुद्वा कब्जा काश्त की आराजी है। जिसमें से ख0न0 327 रकबा 1–03 बीघा का 3/23 भाग वाद वादीगण में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। विवादित आराजी हाल ख0न0 327/1–03 बीघा जिसका कि साबिक ख0न0 66 मिन रकबा 1–03 बीघा से कायम किया गया है। ख0न0 66 मिन रकबा 3–15 बीघा सावंलराम पुत्र रामचन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम चाचाका अलौटी खातेदार की खातेदारी की भूमि थी। जिसने विवादित आराजी सहित दीगर आराजी को जरिये रजि0 बयनामा 288 दिनांक 12.5.1979 को प्रतिफल राशि 7000/रूपये प्राप्त कर मिन वादीगण के पिता अमरसिंह पुत्र उम्मेद खां को बेचान कर दिया तथा कब्जा आराजी सौंप दिया था विवादित आराजी पर दिशा पश्चिम 03 बिस्वा रकबा जो ख0न0 326 की डोल में डोल , दिशा पश्चिम लग रहा है, पर बरोज खरीद से वादीगण का पिता काबिज है ओर आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा है। नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल बयनामा कमांक 288 दिनांक 12.5.79 संलग्न वाद पत्र है। विकय पत्र कमांक 288 दिनांक 12.5.1979 के आधार पर इंतकाल खातेदारी संख्या– 100 तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया जो दिनांक 23.8.1980 का विधिवत वादीगन के पिता के हक में ग्राम पंचायत बाधोडा द्वारा स्वीकार किया गया है। नकल इंतकाल संलग्न वाद पत्र है। वादीगण का पिता अनपढ व अज्ञान व्यक्ति था, जिसे इंतकाल खातेदारी दर्ज हो जाने के पश्चात पिता वादीगण आश्वस्त हो गया कि इंतकाल उसके हक में दर्ज वो स्वीकार हो गया जो स्वयं आराजी को काश्त करता रहा किन्तु इंतकाल खातेदारी के आधार पर ख0न0 325, 326 की बाबत पिता वादीगण के नाम का अंकन चौसाला जमाबन्दी 2037 में दर्ज हो गया, किन्तु विवादित आराजी ख0न0 327 रकबा 3/23 भाग पर पिता वादीगण के नाम का अंकन खातेदारी दर्ज नही कर खिलाफ कानून खिलाफ मौका प्रतिवादी नं0 1 लगा0 4 के पिता उदयराम पुत्र झांगी रा म के नाम का अंकन सालिम रकबा 1–03 बीघा पर दर्ज कर दियाा एंव जमाबंदी 2037 गलत प्रकार से कायम कर दी जि गलत अंकन की पुनरावृति जमाबंदी सं0 2037 से ताहाल जमाबन्दीयो मं होाती आ रही है। जो अंकन 03 बिस्वा की जद तक कलमजन होने योग्य है एवं उपरोक्त गलत अंकन 03 बिस्वा की जद तक कलम जन होने योग्य है एंव उपरोक्त गलत अंकन का वाादीगण 03 बिस्वा की जद तक नल एण्ड वाईड करार दिलाने के अधिकारी है। चूंकि पिता वादीगण विवादित आराजी पर दिनांक 12.5.1979 बरोज खरीद से काबिज काश्त चले आ रहे है। आज भी वादीगण काबिज है इस लिए वादीगण जमाबन्दी हाल वो साबिक को दुरूस्त कराकर 03 बिस्वा पर अपने नाम का अंकन बहैसियत खरीददार खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है अतः दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

बाद बेचान सांवलराम अथवा उसके वारिसान कोई सम्बध विवादित आराजी से नही रहा है। सांवलराम फौत हो चुका है। जिसके दो पुत्रान भी फौत हो चुके है तथा गांव चाचाका छोडकर बाहर रह रहे है। सावंलराम म ृतक के प्रतिवादीगण 5 लगा0 9 कानूनी वारिसान है। जिन्हे वाद में पक्षकार बनाया जा रहा है।वादीगण मुतनाजा आराजी हाल ख0न0 327 रकबा 1–03 बीघा में से 3/23 भाग पर दिशा पश्चिम व ख0न0 326 की डोल में डोल दिया पूरब काबिज काश्त है। किन्तु प्रतिवादी सं0 1लगा0 4 गलत अंकन की आड में मुतनाजा आराजी ख0न0 327 के रकबा 2/23 भाग सें वादीगण को बेदखल करने व मुन्तकिल करने पर तुले हुये है। जिससे हकूक वादीगण समाप्त होने का पूरा–पूरा अंदेशा है। प्रतिवादीगण गैर वास्ता गैर काबिज आराजी है। मुतनाजा आराजी से प्रतिवादीगण गैरवास्ता गैर काबिज आराजी है। मुतनाजा आराजी से प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता मृतक उदयराम का कोई संबंध सरोकार नही रहा है ओर ना ही उन्होने विवादित आराजी को खरीद किया, किन्तु फिर भी लाठी वो पैसे के बल पर प्रतिवादीगण हकूक वादीगण समाप्त कर देना चाहते है। अतः वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण ना तो वादीगन को बेदखल करे ओर ना ही गलत अंकन की आड में दीगर स्थान पर रहन, बैय, मुन्तकिल करें। दौराने दावा रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखें। अतः दावा हुक्म0 दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

अ– यह है कि डिक्री इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगन आराजी मुतनाजा ख0न0 जिसका हाल ख0न0 327 रकबा 1–03 बीघा में से 3/23 भाग जिसका कि साबिक ख0न0 66 मिन है जो आराजी पिता वादीगण ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनाम क्रमांक 288 दिनांक 12.05.1979 एवं इंतकाल नं0 100 के खरीदार काश्तकार काबिज व दखील चला आ रहा है ऐसी सूरत में वादीगण को 3/23 भाग पर खातेदार घोषित किया जावे एवं जमाबंदी सं0 2037 से ताहाल जमाबन्दीयात में जो खिलाफ मौका खिलाफ कानून प्रतिवादीगण व उनके पिता उदयराम का अंकन किया हुआ है, जो 03 बिस्वा की जद तक नल एण्ड वाईड करार दिया जाकर कलमजन फरमाया जावें तथा वादीगण को मुताबिक बयनामा के इंतकाल खातेदारी के आधार पर 3/23 भाग का खातेदार दर्ज कराया जावे।

ब– यह है कि प्रतिवादीगण का जर्ये स्थाई निषेधआज्ञा इस अमर से पाबंद किया जावें कि वो मुतनाजा आराजी ख0न0 327 रकबा 1–03 बीघा में से 3/23 भाग को गलत अंकन की आड में दीगर जगह रहन, बैय, मुन्तकिल नही करें, ना वादीगण को उनके कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

खातेदारी से बेंदखल करें, ना वादीगण को उनके कब्जे काश्त खातेदारी से बेदखल करें , ना आराजी में प्रवेश , दौराने वाद रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखें।

स– खर्चा मुकदमा का वादीगणन को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

द– दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत मुनासिब समझें अता फरमायी जावें।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही । उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने दावे ताईद गवाहान के शपथ पत्र पेश किया जिसमें पीडब्लू–1 आमीनखा, पीडब्लू–2 भीमसिंह, पीडब्लू–3 इलियास के पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी सं0 2070–74, प्रदर्श–2 मिलान क्षे0 संवत 2029, प्रदर्श–3 सनद पटटा तहसीलदार कि0बास सन 10.5.79, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2033–34, प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत 2037, प्रदर्श–6 एवं बयनामा दिनांक 12.5.79 की फोटो प्रति, इंतकाल नं0 100 की छाया प्रति, इंतकाल नं0 97 की छाया प्रति पेश की है। आज पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान में ग्रम पंचायत मुख्यालय पर पेश हुई । वादीगण उपस्थित हुए, वादीगण को सुना गया। तथा पैरोकार सरकार को भी सुना गया। वादीगण ने बताया कि आराजी विवादित हमारे मृतक पिता अमरसिंह की खरीदशुद्वा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है, चूकि हम वादीगण उसके विधिक वारिसान है, हमारे नाम ही खातेदारी का अंकन होना चाहिए, परंतु जमाबंदी में विक्रेता सांवलराम के वारिसान का अंकन हो रहा है। उसे हजफ किया जाकर ख0न0 327 रकबा 1–03 बिस्वा में से 3/23 भाग पर वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावे।।

पक्षकारान को सुनने के पश्चात हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत बयनामा दिनांक 12.5.79 से साबित है कि श्री सांवलराम पुत्र रामचन्दर ने आ0ख0न0 327 रकबा 1–बीघा 03 बिस्वा में से 3/23 भाग वाके ग्राम चाचाका तहसील किशनगढबास का बेचान अमर सिह पुत्र उम्मेद जाति मेव के पक्ष में किया है उक्त बयनामा में ख0न0 325,326 का बेचान भी सावलराम के द्वारा अमर सिंह को किया था। बेंचान का अमल नामांतकरण सं0 100 में अमर सिंह के पक्ष में दर्ज वो मंजूर हुआ है । नांमातकरण में अंकित ख0 न0 325, 326 का अमल जमाबंदीयात में हो रहा है। लेकिनं ख0न0 327 का अमल बाद इंतकाल जमाबंदीयात संवत 2037 से आज दिनांक तक क्रेता का नाम अमल में नही आया जिससे साबित होता है कि वादीगण आराजी विवादित का ख0न0 327 रकबा 1–03 बिस्वा में से 3/23 भाग का जमाबंदीयात में जरिये इंतकाल व बयानामा के आधार पर खातेदार घोषित कियां जाना एवं जमाबंदीयात में जो अमल प्रतिवादीगण के नाम का अमल हो रहा है उसे कलमजन किया जाना उचित एंव न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को हाल ख0न0 327 रकबा 1–03 बीघा में से 3/23 भाग (03बिस्वा) पर मुताबिक रजिर्स्टड बयनामा दिनांक 12.5.1979 एवं इंतकाल सं0 100 के खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस हिस्से की जद तक जमाबंन्दी हाल में प्रतिवादीगण व उनके पिता उदयराम का अंकन हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती हो। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें। खर्चा फैरीकेन स्वयं वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरे आम सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

(प्रशासन गॉवो के संग अभियान ग्रा0प0 मख्यालय धमूकड)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
130/16	24.8.16	2.12.21

उनवान

1. रहमत
2. आमीन
3. इलियास पुत्रान अमरसिंह जाति मेव निवासी ग्राम चाचाका तह0 किशनगढबास।

:–वादीगण :–

बनाम

1. शंकरलाल
2. मूलचन्द
3. मदनलाल
4. खेमचन्द पुत्रान श्री उदयराम जातियान राजपूत निवासी ग्राम चाचाका तह0 किशनगढबास जिला अलवर।
5. प्रेमचन्द पुत्र रामदेवा पौत्र सावलराम
6. भगनाराम पुत्र रामदेवा पौत्र सांवलराम जाति राजपूत निवासी चाचाका हाल आबाद पडावदा तह0 रामगढ
7. ज्ञानचन्द पुत्र रामदेवा पौत्र सावलराम जाति राजपूत निवासी चाचाका हाल आबाद पडावदा तह0 रामगढ

8/1.महेन्द्र सिंह पुत्र गंगाराम

8/2. श्यामलाल पुत्र गंगाराम

8/3.रखबीर पुत्र गंगाराम कौम राजपूत निवासी हाल नीकच तह0 रामगढ जिला अलवर।

9.दीवानचन्द पुत्र मेलुराम पौत्र सांवलराम राजपूत नि0 हाल आबाद नीकच तह0 रामगढ

10.राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास पैरोकार सरकार तह0 किशनगढबास

:– प्रतिवादीगण :–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट. 1955

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

पर्चा डिक्री दिनांक 2.12.21

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को हाल ख0न0 327 रकबा 1–03 बीघा में से 3/23 भाग (03बिस्वा) पर मुताबिक रजिस्र्टड बयनामा दिनांक 12.5.1979 एवं इंतकाल सं0 100 के खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस हिस्से की जद तक जमाबंन्दी हाल में प्रतिवादीगण व उनके पिता उदयराम का अंकन हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती हो। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें। खर्चा फैरीकेन स्वयं वहन करेगें। निर्णय सरे आम सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)